

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 मई 2017—वैशाख 16, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्र. डी-15-23-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यभारत शासन, उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2242-13-सी-516-54 दिनांक 9 मई, 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी कुक्षी, जिला धार के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

नगर परिषद अम्बाड़ा, तहसील कुक्षी, जिला धार के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 7.691 हेक्टेयर अर्थात् (19.00 एकड़) भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	रकबा (हेक्टेयर में) (3)
1	35	7.691
		कुल योग . . 7.691

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि.  
दक्षिण में—कुक्षी-मनावर रोड.  
पूर्व में—सर्वे नम्बर 36 की भूमि.  
पश्चिम में—सर्वे नम्बर 33 की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्र. डी-15-23-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 मई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 6th May 2017

No. D-15-23-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following place including all structures, enclosures, open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi Kukshi of Dhar district has been established *vide* the Madhya Bharat, Industries and Commerce department's Notification No. 2242/13 C/516/54 dated 9th May, 1955 shall be Additional market yard namely:—

PLACE

An area of 7.691 Hectare land (19.00 Acres) of bellow mentioned Khasra number at Nagar Parisad Ambada in Tehsil Kukshi of District Dhar:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectare) (3)
1	35	7.691
		All Total . 7.691

BOUNDED BY

- On the North by**—Govt. Land.  
**On the South by**—Kukshi-Manawar Road.  
**On the East by**—Land of Survey No. 36.  
**On the West by**—Land of Survey No. 33.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्र. डी-15-23-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 मई, 2017 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति कुशी, जिला धार के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर परिषद् अम्बाड़ा तहसील कुशी जिला धार की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  - (1) अम्बाड़ा, (2) तलवाड़ा, (3) लोहारी, (4) धुलसर, (5) लोहारा, (6) दुकणी, (7) सालखेड़ा, (8) लोणी,
  - (9) निम्बोल, (10) ननोदा, (11) देशवाल्या, (12) कोलगाँव, (13) कापसी, (14) बड़ग्यार, (15) खराजना,
  - (16) भवरियाँ, (17) पिपल्या.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2017

क्र. डी-15-23-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 मई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 6<sup>th</sup> May 2017

No. D-15-23-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the sub market yard as under this department's notification even Number, dated 6th May, 2017 the following area in the market area of Kukshi of Distirct Dhar shall be the Additional market proper:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Parisad Ambada in Tehsil Kukshi of District Dhar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilo meters from the market yard namely:—
  - (1) Ambada, (2) Talwada, (3) Lohari, (4) Dhulsar, (5) Lohara, (6) Dhukni, (7) Salkheda, (8) Londi, (9) Nimbol, (10) Nanoda, (11) Deshvalya, (12) Kilgaon (13) Kapsi, (14) Badgyar, (15) Kharajna, (16) Bhavariya, (17) Piplaya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.